संख्या-07/2023/520ई-2/तेरह-2023-498830

प्रेषक,

उमेश कुमार तिवारी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ.दिनांक 09 मार्च, 2023

विषय- मेसर्स सुपीरियर इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, बरेली की क्षमता वर्ष में 330 कार्यकारी दिवस से बढ़ाकर 350 कार्यकारी दिवस स्वीकृत करते हुए आसवनी की अधिष्ठापित क्षमता 442.20 लाख लीटर वार्षिक से बढ़ाकर 469 लाख लीटर वार्षिक निर्धारित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या:जी-314/दो-प्रा.डी.-3/सुपीरियर, दिनांक 27-02-2023 तथा प्रकरण में अपर मुख्य सचिव, आबकारी विभाग, उ.प्र. शासन की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 03-03-2023 में लिए गए निर्णय सम्बन्धी कार्यवृत्त संख्या-501ई-2/तेरह-2023-498830 दिनांक 03-03-2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 27-02-2023 में आप द्वारा की गयी संस्तुति/प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य के राजस्व एवं औद्योगिक हित तथा निवेश एवं रोजगार संवर्धन के दृष्टिगत मेसर्स सुपीरियर इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, बरेली की वर्तमान प्रतिदिन उत्पादन क्षमता को यथावत रखते हुये वर्ष में 330 कार्यकारी दिवस को बढ़ाकर 350 कार्यकारी दिवस स्वीकृत करते हुए आसवनी की वार्षिक अधिष्ठापित क्षमता 442.20 लाख लीटर वार्षिक से बढ़ाकर 469 लाख लीटर वार्षिक के अन्तर्गत शीरा आधारित क्षमता 244.20 लाख लीटर वार्षिक से बढ़ाकर 259 लाख लीटर वार्षिक जिसमें 90 प्रतिशत 233.10 लाख लीटर वार्षिक पेय एवं 25.90 लाख लीटर वार्षिक औद्योगिक तथा ग्रेन आधारित क्षमता 198 लाख लीटर से बढ़ाकर 210 लाख लीटर वार्षिक जिसमें 90 प्रतिशत 189 लाख लीटर वार्षिक पेय एवं 21 लाख लीटर वार्षिक औद्योगिक अल्कोहल उत्पादन किये जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है:-

(1) आसवनी द्वारा नियमानुसार भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 25-03-2019 एवं अन्य विभागों के सुसंगत अधिनियमों/नियमों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) आसवनी द्वारा उत्तर प्रदेश आबकारी (आसवनी स्थापना) (तेरहवॉ संशोधन) नियमावली 2019 के सुसंगत प्रावधानों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) आसवनी को उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक 11-01-2022 द्वारा प्रदत्त जल एवं वायु सहमति तथा पत्र दिनांक 01-12-2022 द्वारा प्रदत्त जल एवं वायु सहमति में लगायी गयी शर्तों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(4) ग्रेन से एथनॉल उत्पादन किये जाने हेतु इकाई द्वारा उत्पादन के परिप्रेक्ष्य में प्रयोग में लाये जाने वाले अनाज व अन्य पदार्थों की आपूर्ति को सुगम करने व अंतर्विभागीय सामंजस्य स्थापित करने एवं उत्पादनकर्ताओं की कठिनाईयों को संज्ञान लेकर उन्हें दूर किये जाने हेतु शासनादेश दिनांक 26.03.2021 के प्रस्तर-3(4)(छ) में उल्लिखित व्यवस्थानुसार मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन की अध्यक्षता में गठित स्टीयरिंग कमेटी द्वारा निर्णय लिया जायेगा। उक्तानुसार अनाज व अन्य पदार्थों की आपूर्ति के परिप्रेक्ष्य में स्टीयरिंग कमेटी द्वारा यथास्थिति मानव उपयोग व पशु उपयोग हेतु वांछित अनाज व अन्य पदार्थों की प्रदेश की वार्षिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन प्रश्नगत इकाई को करना होगा।

(5) इकाई द्वारा गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज (जी.एम.पी.) का अनुपालन करते हुए उत्पादन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) आबकारी आयुक्त द्वारा अग्रेतर कार्यवाही करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि आसवनी पर राजस्व बकाया नहीं है।

तदनुसार कृपया अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(उमेश कुमार तिवारी)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।